सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक—आ.का./04/2019
दिनाक 15-01-2019

विषय : झारक्राफ्ट के कंबल घोटाला की उच्चस्तरीय जाँच के संबंध में.

माननीय मुख्यमंत्री,

उपर्युक्त विषय में पूर्व में भेजे गये मेरे दो पत्रों का कृपया स्मरण करेंगे. कम्बल घोटाला उजागर होने के कुछ ही दिन बाद त्यागपत्र सौंपने वाली तथा झारक्राफ्ट के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सह उद्योग निदेशक पर इस मामले में वित्तीय अनियमितता का गम्भीर आरोप लगाने वाली झारक्राफ्ट की तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) श्रीमती रेणु गोपीनाथ पण्णिक्कर भी अब इस प्रकरण की जाँच करने की बात करने लगी हैं. उन्होंने गत सप्ताह सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वे कम्बल घोटाला की जाँच का सामना करने के लिये तैयार हैं. अब सरकार को इसकी जाँच सीबीआई/एसएफआईओ/एसीवी से कराने का आदेश देना चाहिये ताकि घोटाला के लिये दोषी चेहरों को सामने लाया जा सके. श्रीमती पण्णिक्कर का कहना है कि झारक्राफ्ट में इनके सीईओ बनने के पहले ही कम्बलों के अलग अलग रंगों के धागों का आदेश दे दिया गया था. धागों की आपूर्ति की एवज़ में भुगतान का वित्तीय अधिकार उन्हें नही था. उन्होंने किसी विपत्र या चेक पर हस्ताक्षर भी नहीं किया है. झारक्राफ्ट में इनके उपर एमडी पदस्थापित थे. श्रीमती पण्णिक्कर की इस स्वीकृति के बाद सरकार द्वारा कम्बल घोटाला की जाँच एसीबी/सीबीआई/ एसएफआइओ से नहीं कराने का कोई औचित्य नहीं है.

सीएजी के ऑडिट प्रतिवेदन में कम्बल बुनने के लिये पानीपत से धागा लाने, बुने गये कम्बलों को धुलाई के लिये पानीपत ले जाने और धुले हुये कम्बलों को पानीपत से राँची एवं झारखंड के अन्य स्थानों तक पहुँचाने के लिये दिखाई गई परिवहन व्यवस्था में गंभीर अनियमिततायें उजागर हुई हैं. अंकेक्षण प्रतिवेदन से निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुतः धागों एवं कम्बलों का पानीपत से झारखंड और झारखंड से पानीपत के बीच परिवहन हुआ ही नहीं है, परिवहन में उपयोग किये गये वाहनों की संख्या, इनका रजिस्ट्रेशन नम्बर सही नहीं पाये गये हैं और कम्बल बाज़ार से ख़रीदकर वितरण के लिये ज़िलाधिकारियों तक पहुँचा दिये गये हैं. यदि यह सही है तो जाँच का विषय यह भी है कि बाज़ार से कम्बल किसने खरीदा, कहाँ से ख़रीदा और कम्बल ख़रीद की प्रक्रिया क्या थी?

स्मरणीय है कि मार्च 2018 में राज्य सरकार के विकास आयुक्त ने राँची के आयुक्त द्वारा कम्बल घोटाला की आरम्भिक जाँच में पायी गयी अनियमितताओं के आलोक में तत्कालीन उद्योग सचिव को निर्देश दिया था कि इसकी जाँच एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से करायें. पर इस निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ. इसकी जगह 28 सदस्यों की 4X7 जाँच समितियाँ

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2401023, फैक्स : 0651-2482455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

गठित कर दी गई. इन समितियों ने अबतक कोई रिपोर्ट नहीं दिया है. इन समितियों के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इनके गठन का आदेश किस स्तर से हुआ? विकास आयुक्त के आदेश का अनुपालन उद्योग सचिव ने किस आधार पर नहीं किया? इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिये भी इसकी जाँच भी आवश्यक है.

गत वर्ष फ़रवरी में झारक्राफ्ट कम्बल घोटाला सामने आया था तो झारक्राफ्ट के दो वरीय अधिकारियों – एमडी सह उद्योग निदेशक के० रवि कुमार और सीइओ श्रीमती रेणु पण्णिक्कर – ने इसके संबंध में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के गम्भीर आरोप लगाया था. रेणु पण्णिक्कर के आरोप पर के० रवि कुमार ने सार्वजनिक बयान दिया था कि वे इनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे. बाद में रेणु पण्णिक्कर का त्यागपत्र हो गया. धारणा बनी कि वे कंबल घोटाला की मुख्य किरदार हैं और उन्हें कम्बल घोटाला में आरोपित होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा. पर के० रवि कुमार ने आजतक रेणु पण्णिक्कर पर मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया है. सरकार ने उन्हें उद्योग निदेशक के ही वेतनमान में उद्योग सचिव के पद पर प्रोन्नत कर दिया. उद्योग निदेशक के रूप में उनके द्वारा किये गये अपने कार्यों और लिये गये निर्णयों का, जिनमें बहुचर्चित मोमेंटम झारखंड के कार्य एवं निर्णय भी शामिल हैं, उद्योग सचिव के रूप मे वे स्वयं समीक्षा करेंगे.

जाड़ा के मौसम में ग़रीबों के बीच बाँटने के लिये कंबल ख़रीदने का ज़िम्मा श्रम विभाग को सौंपा गया था, हांलाकि यह योजना समाज कल्याण विभाग की है. श्रम विभाग के बजट शीर्ष में ही इसके लिये निधि का आवंटन किया गया था. फिर यह निर्णय किस स्तर पर हुआ कि वर्ष 2017–18 में कंबल उद्योग विभाग के उपक्रम झारक्राफ्ट के माध्यम से बँटेंगे. बताया जा रहा है कि राज्य के बुनकरों का हित ध्यान में रखकर कंबल का धागा पानीपत से झारखंड लाकर बुनकरों को दिया जायेगा. बुनकर जब कंबल बुन देंगे तो कंबलों को धोने और प्रेस करने के लिये फिर पानीपत भेजा जायेगा. धुलाई और प्रेसिंग के बाद कंबल फिर झारखंड लाये जायेंगे और झारक्राफ्ट इनका वितरण करने के लिये इन्हे जिलों मे पहुँचायेगा.

सवाल है कि जब श्रम विभाग से यह काम लेकर झारक्राफ्ट को सौंपा गया तो इसका विचार हुआ या नहीं कि झारक्राफ्ट की क्षमता क्या है? पानीपत से धागा लाकर जिन बुनकरों के यहां लाखों कम्बलों की बुनाई होगी उन बुनकरों के पास उपलब्ध पावरलूम की क्षमता क्या है? बुनाई के बाद कंबलों को पानीपत भेजने तथा धुलकर उन्हें पुनः झारखंड लाने की प्रक्रिया व्यवहारिक कितना है? क्या इस पर विचार हुआ कि इसमें में जो ख़र्च लगेगा उतना ख़र्च में कंबल धुलाई–प्रेसिंग की दो– चार इकाइयाँ झारखंड में ही लगा ली जा सकती है या नहीं ? इसके अतिरिक्त जाँच का विषय यह भी हो सकता है कि श्रम विभाग के बजट का उपयोग उद्योग विभाग, झारक्राफ्ट द्वारा करने का औचित्य क्या था और ऐसा करने के लिये सलाह किसने दी थी?

Scanned with OKEN Scanner

यदि श्रीमती रेणु पण्णिक्कर त्याग पत्र देने के बाद झारक्राफ्ट कम्बल घोटाला की जाँच के संदर्भ में उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार हैं और जाँच के परिणाम का सामना करने के लिये तैयार हैं तो सरकार को इसकी उच्चस्तरीय जाँच सीबीआई/एसएफआइओ/एसीबी से कराने की घोषणा अविलम्ब करनी चाहिये.

ध्यान रखना चाहिये कि राजकोष के दुरूपयोग के साथ ही राज्य के विभिन्न इलाकों के सैकड़ों बुनकर परिवार इस घोटाला का शिकार हुये हैं. लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों की प्रगति पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है. इससे बुनकर परिवारों को न केवल आर्थिक नुक़सान हुआ है बल्कि उनकी भविष्य की आशा पर भी तुषारापात हुआ है. उद्यमी एवं बुनकर बेरोज़गार हुये हैं. इसके दोषियों के चेहरे उजागर होना ज़रूरी है. इसकी जाँच नही होने से जनता के बीच ग़लत संदेश जायेगा कि जिस घोटाला का शिकार सैकड़ों ग़रीब बुनकर परिवार हुये हैं, जिससे लघु उद्यम क्षेत्र की प्रगति पर विराम लग गया है उसके दोषियों को सरकार दंडित करने से कतरा रही है.

अनुरोध है कि झारक्राफ्ट कंबल घोटाला की उच्चस्तरीय जाँच का आदेश अविलम्ब करें.

सादर,

भवदीय,

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner